संख्या–394 / 79–6–00–1(5) / 2006

प्रेषक,

जे0एस0दीपक,
सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनु0–6 लखनऊ दिनांक 17 फरवरी, 2006

विषयः प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गरम पका–पकाया भोजन (कुक्ड़ मील) उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1981 / 79–6–04–1(6) / 2000 टी0सी0–8 एवं दिनांक 08 सितम्बर, 2004 के अनुक्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में यह व्यवस्था की गयी थी कि मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने में यथास्थिति स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं की भी सेवाएं प्राप्त की जा सकती है।

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आए हैं कि ग्राम पंचायत स्तर के स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने के कार्य में बड़ी संख्या में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भोजन स्थानीय स्कूलों में तैयार न कराके सुदूर किचनों से तैयार कराकर स्कूलों में वितरित किया जा रहा है जिससे भोजन की गुणवत्ता प्रभावित होती है और स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा प्राप्त खाद्यान्न के दुरूपयोग की संभावनाएं बनी रहती है।

अतः शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि आगामी शैक्षिक सत्र से स्वयंसेवी संस्थाओं को मध्यान्ह पोषाहार योजना के तहत गरम पके–पकाये भोजन के वितरण की अनुमति तभी प्रदान की जाय जब ग्राम पंचायतें / स्थानीय निकायों द्वारा स्कूलों में भोजन उपलब्ध कराने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी जाय।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय
ह0
(जे.एस.दीपक)
सचिव